

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	ता0 फाईनल निर्णय
88/11	दावा	12.10.11	11.07.17

कन्हैया पुत्र स्व0 सुन्दर जाति बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. शिवनारायण । सभी जाति बैरवा निवासीयान सिमिर मजरा
2. हंसराज । पुत्रान खुन्नू गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. दौली बेवा सुरजन।
4. श्यामलाल ।
5. हरिकेश । पुत्रान सुरजन
6. कल्लू ।
7. बलवीर ।
8. सुनीत बेवा राजू।
9. पुन्या । पुत्रान सुन्दर
10. रामखिलाड़ी ।
11. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प अमरवाड़ मे तलब किये जाने से पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम सिमिर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 9.03.16 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक रालोअ/2017/351 दिनांक 11.07.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम महमदपुर की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. कन्हैया पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख0नं0 560 रकबा 19 बिरवा रहेगा।
2. शिवनारायण हंसराज पि0 खुन्नू जाति बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख0नं0 560/2 रकबा 12 बिरवा रहेगा।
3. दौली बेवा सुरजन श्यामलाल हरिकेश कल्लू बलवीर पि0 सुरजन सुनीता बेवा राजू जाति बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा ख0नं0 560/3 रकबा 06 बिरवा रहेगा।
4. पून्या रामखिलाड़ी पि0 सुन्दर बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख0नं0 560/1 रकबा 1 बीघा 17 रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव)

पीठासीन अधिकारी(एसडीएम)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

पीठसीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा.

मु0नं0 किस्म ता0दायरा ता0 फाईनल निर्णय

88/11 दावा 12.10.11 11.07.17

सपोटित

कन्हैया पुत्र स्व0 सुन्दर जाति बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. शिवनारायण । सभी जाति बैरवा निवासीयान सिमिर मजरा
2. हंसराज । पुत्रान खुन्नु गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. दोली बेवा सुरजन।
4. श्यामलाल ।
5. हरिकेश । पुत्रान सुरजन
6. कल्लू ।
7. बलवीर ।
8. सुनीता बेवा राजू।
9. पुन्या । पुत्रान सुन्दर
10. रामखिलाड़ी ।
11. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प अमरवाड़ में तलब किये जाने से पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम सिमिर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 9.03.16 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक रालोअ/2017/351 दिनांक 11.07.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम सिमिर की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. कन्हैया पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा के हिस्से में ख0नं0 560 रकबा 19 बिस्वा रहेगा।
 2. शिवनारायण हंसराज पि0 खुन्नु जाति बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से में ख0नं0 560/2 रकबा 12 बिस्वा रहेगा।
 3. दोली बेवा सुरजन श्यामलाल हरिकेश कल्लू बलवीर पि0 सुरजन सुनीता बेवा राजू जाति बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा ख0नं0 560/3 रकबा 06 बिस्वा रहेगा।
 4. पुन्या रामखिलाड़ी पि0 सुन्दर बैरवा सा0 देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से में ख0नं0 560/1 रकबा 1 बीघा 17 रहेगा।
- बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव)

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उनवान

कन्हैया पुत्र स्व० सुन्दर जाति बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा तहसील
सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

वनाम

1. शिवनारायण । सभी जाति बैरवा निवासीयान सिमिर मजरा
2. हंसराज । पुत्रान खुन्नू गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. दोली वेवा सुरजन।
4. श्यामलाल ।
5. हरिकेश । पुत्रान सुरजन
6. कल्लू ।
7. बलवीर ।
8. सुनीत वेवा राजू।
9. पुन्या । पुत्रान सुन्दर
10. रामखिलाड़ी ।
11. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, बंटवारा व स्थायी निपेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 88/11

निर्णय दिनांक:- 11.07.2017

वादीया की ओर से एवं प्रतिवादीगण की ओर सेकी उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 11.07.2017 को श्री राजपाल यादव आरएएस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि-दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर ग्राम महमदपुर की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. कन्हैया पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560 रकबा 19 बिस्वा रहेगा।
2. शिवनारायण हंसराज पि० खुन्नू जाति बैरवा सा० देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560/2 रकबा 12 बिस्वा रहेगा।
3. दोली वेवा सुरजन श्यामलाल हरिकेश कल्लू बलवीर पि०सुरजन सुनीता वेवा राजू जाति बैरवा सा०देह म०गोपालपुरा ख०नं०560/3 रकबा 06 बिस्वा रहेगा।
4. पुन्या रामखिलाड़ी पि० सुन्दर बैरवा सा० देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560/1 रकबा 1 बीघा 17 रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल यादव)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टैम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टैम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टैम्प		अर्जी के लिए स्टैम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टैम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उनवान

कन्हैया पुत्र स्व० सुन्दर जाति बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा तहसील
सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. शिवनारायण । सभी जाति बैरवा निवासीयान सिमिर मजरा
2. हंसराज । पुत्रान खुन्नु गोपालपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. दोली बेवा सुरजन।
4. श्यामलाल ।
5. हरिकेश । पुत्रान सुरजन
6. कल्लू ।
7. बलवीर ।
8. सुनीता बेवा राजू।
9. पुन्या । पुत्रान सुन्दर
10. रामखिलाड़ी ।
11. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- 88/11

निर्णय दिनांक:- 11.07.2017

वादीया की ओर से एवं प्रतिवादीगण की ओर सेकी उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 11.07.2017 को श्री राजपाल यादव आरएएस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि-दावा वादीया मुताबिक बंटवारा रकीम फाईनल डिकी किया जाकर ग्राम सिमिर की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. कन्हैया पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी सिमिर मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560 रकबा 19 बिरवा रहेगा।
2. शिवनारायण हंसराज पि० खुन्नु जाति बैरवा सा० देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560/2 रकबा 12 बिरवा रहेगा।
3. दौली बेवा सुरजन श्यामलाल हरिकेश कल्लू बलवीर पि०सुरजन सुनीता बेवा राजू जाति बैरवा सा०देह म०गोपालपुरा ख०नं०560/3 रकबा 06 बिरवा रहेगा।
4. पून्या रामखिलाड़ी पि० सुन्दर बैरवा सा० देह मजरा गोपालपुरा के हिस्से मे ख०नं० 560/1 रकबा 1 बीघा 17 रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल यादव)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प		अर्जी के लिए स्टॉम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टॉम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			